कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या– 211 /12ए– 50 (2020–23)/डी0एल0आर0सी0–2021 दिनांक 8 अप्रैल ~~मार्च~~ 2021

विषय– जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ग्राम कथियान से डिरनाड मार्ग के निर्माण में आने वाली 3.0835 है0 वन भूमि के एवज में 6.1700 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, चकराता।
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–352/वाचक/2021 दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा कार्यालय में भूमि प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ग्राम कथियान से डिरनाड मार्ग के निर्माण में आने वाली 3.0835 है0 वन भूमि के एवज में मौजा डिरनाड तहसील त्यूनी के बंजर भूमि खाता संख्या 00092 के खसरा नम्बर 462 रक्बा 6.1700है0 भूमि, श्रेणी–5(3)(ड0)–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपजिलाधिकारी चकराता के द्वारा खाता खतौनी, नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अनापत्ति सहित भूमि उपब्धता का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः आपके पत्रांक–352/वाचक/2021 दिनांक 03 मार्च 2021 2021 एवं 365/वाचक–2021 दिनांक 27 मार्च 2021 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010, राजस्व अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 , शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50 (39)–2015 /2014–वित्त (वे0आ0 –सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020–09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम–डिरनाड तहसील–त्यूनी परगना–जौनसार बावर, जनपद–देहरादून के खाता संख्या–00092 के खसरा संख्या–462 मध्ये 6.1700है0 भूमि, श्रेणी–5(3)(ड0)–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by ASHISH KUMAR SRIVASTAV
Date:Wed Apr 07 20:11:57 IST 2021

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :–
1.प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2.अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी, देहरादून को उनके पत्र संख्या– 782/22सी दिनांक 17.08.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
देहरादून